न्यूज़ टुडे

विश्व क्षय रोग दिवस 2022 (World Tuberculosis Day) मनाया गया

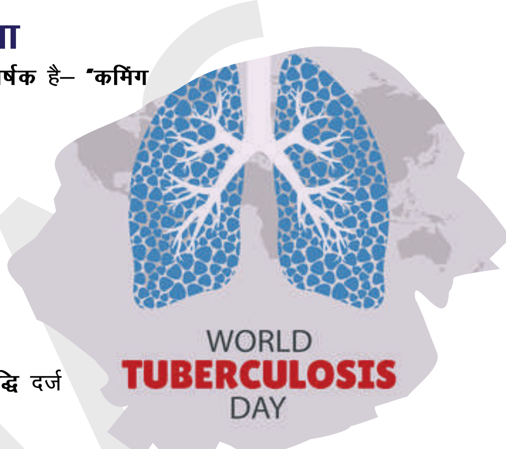

- **24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस** के अवसर पर **"इंडिया टी.बी. रिपोर्ट 2022"** जारी की गयी। इस रिपोर्ट का **शीर्षक** है– **"कमिंग टुगेदर टू एंड टी.बी. अलटुगेदर"** {टी.बी. को पूर्णतया समाप्त करने के लिए साथ आना}।
- इस अवसर पर **"राष्ट्रीय टी.बी. प्रसार सर्वेक्षण रिपोर्ट"** (National TB Prevalence Survey) भी जारी की गयी।
- **इंडिया टी.बी. रिपोर्ट 2022 के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
  - **वर्ष 2021 में** टी.बी. रोगियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में **19% की वृद्धि** दर्ज की गई है।
  - **क्षय रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP 2017– 25)** का विज़न, राज्य और जिला स्तर तक पहुँच गया है। **कुल 18 राज्यों ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।**
  - भारत में, **चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस (बच्चों में टी.बी.)** एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका **वैश्विक स्तर पर ट्यूबरक्लोसिस के बोझ में लगभग 31%** का योगदान है।
  - भारत में वर्ष **2019 से वर्ष 2020 के बीच टी.बी. के सभी रूपों के कारण होने वाली मृत्यु दर में 11% की वृद्धि** दर्ज की गयी है।
- **राष्ट्रीय टी.बी. प्रसार सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
  - इस सर्वेक्षण के अनुसार, **सिम्प्टमैटिक यानी टी.बी. के शुरूआती लक्षण वाली अधिकांश आबादी (64%) ने स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश ही नहीं की।**
  - भारत में सभी आयु के लोगों में टी.बी. के सभी रूपों का प्रसार **वर्ष 2021 के लिए प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर 312 था।**
- इस अवसर पर सरकार ने **"डेयर टू इरेड टी.बी."** नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया।
  - इसके तहत भारतीय आंकड़ों की सहायता से और **संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग** के आधार पर टी.बी. की निगरानी के लिए एक **"जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम"** का गठन किया जायेगा।

क्षय रोग/तपेदिक/ट्यूबरक्लोसिस (TB) के बारे में

- टी.बी., **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस** नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु प्रायः संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
- यह एक संक्रामक रोग है, जो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है।
- **टी.बी. को समाप्त करने के लिए भारत का विजन:** इसके तहत वर्ष 2025 तक भारत से टी.बी. को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच वर्ष पहले की प्रतिबद्धता है।
- **टी.बी. उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:**
  - **क्षय रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017–2025** की घोषणा की गयी है।
  - केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम** (National Tuberculosis Elimination Program: NTEP) चलाया जा रहा है।
  - **टी.बी. हारेगा देश जीतेगा** नामक एक अभियान चलाया जा रहा है।

सहकारी समितियों पर, संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि संघीय विशेषताएं बरकरार रहें

- इस बारे में एक **संसदीय स्थायी समिति** ने निम्नलिखित **सिफारिशें** की हैं:
  - राष्ट्रीय स्तर पर **योजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों आदि को तैयार करते समय** "अत्यधिक विवेक" का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि देश की संघीय विशेषताएं 'प्रभावित' न हों।
  - सभी हितधारकों से ठीक से विचार–विमर्श करने के बाद ही **नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति** तैयार की जानी चाहिए।
  - सभी **मल्टी–स्टेट सहकारी समितियों** के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत ढांचे निर्मित किये जाने चाहिए।
  - सहकारी संस्थाओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने तथा वृद्धि और विकास करने के लिए उन्हें **पर्याप्त अवसर या सुविधाएं** प्रदान करने हेतु **एक प्रभावी तंत्र** तैयार करना चाहिए।
- **भारत में सहकारिता (Cooperatives in India):**
  - "सहकारी समितियां" संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची **का एक विषय** हैं।
  - **97वें संविधान संशोधन अधिनियम** के द्वारा, भाग IXB को संविधान में जोड़ा गया था।
    - इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों के संबंध में कुछ **बुनियादी नियम** निर्धारित किये गए थे। उदाहरण के लिए– एक सहकारी समिति में अधिकतम 21 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, समिति के निर्वाचित सदस्यों के लिए पांच वर्ष का फिक्स कार्यकाल आदि।
    - हालांकि, **भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह और अन्य वाद (2021)** में सुप्रीम कोर्ट ने **97वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों रद्द कर दिया।** सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि संशोधन के कुछ प्रावधान राज्य सूची के विषयों के संबंध में राज्य **विधान–मंडलों की शक्तियों का उल्लंघन करते हैं।**
      - सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सहकारी समितियां स्पष्ट रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आती हैं। केवल मल्टी–स्टेट सहकारी समितियों के मामलों में ही संसद को कानून बनाने की अनुमति है।

सहकारी समितियों के लिए कानूनी ढांचा

- अलग–अलग राज्यों ने अपने यहां की सहकारी समितियों के गवर्नेंस के लिए **राज्य सहकारी समिति कानून** बनाए हैं।
- एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियों के लिए, केंद्र सरकार ने **"मल्टी–स्टेट सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002"** नामक एक कानून बनाया है।

विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग

- देश में वर्तमान समय में कुल **22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स** चालू स्थिति में हैं। ये सभी रिएक्टर्स अभी मात्र **6,780 मेगावाट** परमाणु ऊर्जा पैदा कर रहे हैं।
- भारत ने परमाणु ईंधन चक्र के **लगभग सभी चरणों में व्यापक क्षमताएं** विकसित कर ली हैं। ये हैं– खनन, यूरेनियम उत्पादन, फ्यूल फैब्रिकेशन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, इस्तेमाल हो चुके ईंधन की रिप्रॉसेसिंग और अपशिष्ट प्रबंधन।
- भारत ने **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग** में सहयोग के लिए 18 देशों/संगठनों के साथ इंटर–गवर्मेंटल एग्रीमेंट (IGA) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हैं– **अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चेक रिपब्लिक, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, साउथ कोरिया, रूस, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और घाना।**
  - वर्तमान में परमाणु ऊर्जा पर **इज़रायल** के साथ **कोई समझौता नहीं** है।
- **परमाणु ऊर्जा का महत्वः**
  - एक **जिम्मेदार परमाणु शक्ति** के रूप में अपनी **विश्वसनीय स्थिति बनाये रखने में सहायक।**
  - **देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग** को पूरा करने में सहायक।
- **चुनौतियांः**
  - अपने **परमाणु हथियार कार्यक्रम** और पड़ोसी देश पाकिस्तान (जिसके पास परमाणु हथियार भी हैं) के साथ **तनावपूर्ण संबंधों** को देखते हुए, भारत **वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था में शामिल होने में असमर्थ है।**
  - **स्थानीय स्तर पर कुछ चिंताओं के कारण विरोध,** जैसे– परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्थानीय जल उपलब्ध कराना, पर्यावरण को हानि, भूमि अधिग्रहण आदि।

गृह मंत्रालय ने गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) के 'FCRA पंजीकरण' की वैधता को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है

- गृह मंत्रालय ने जनहित में NGOs के **FCRA पंजीकरण की वैधता को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया** है। पिछली बार इसकी वैधता को 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। यहाँ FCRA का आशय विदेशी योगदान (विनियमन) कानून {Foreign Contribution (Regulation) Act} से है।
  - इसके आलावा, ऐसे NGOs, जिनकी 5 साल की वैधता अवधि, **1 अप्रैल से 30 जून** के बीच खत्म हो रही है और जिन्होंने पंजीकरण की वैधता समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए FCRA पोर्टल पर आवेदन किए हैं, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा।
- FCRA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को **विदेशी योगदान हमेशा लेजिटीमेट या वैध स्रोत** से ही प्राप्त हो। साथ ही, इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करता है कि **इस तरह से प्राप्त राशि का उपयोग हमेशा वैध उद्देश्यों के लिए** ही हो।
  - यह कानून पहली बार वर्ष 1976 में पारित किया गया था। इसे वर्ष 2010 और फिर वर्ष 2020 में संशोधित किया गया।
  - किसी भी NGO को यदि विदेशी योगदान प्राप्त करना है तो उसे खुद को FCRA के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य है। साथ ही, **प्रत्येक 5 साल में पंजीकरण का नवीनीकरण** भी कराना पड़ता है।
  - भारत सरकार से फंडिंग की मांग करने वाले NGOs का पंजीकरण करने और मान्यता देने वाली नोडल एजेंसी **नीति आयोग** है।
- **भारत में NGOs के विनियमन के संबंध में प्रावधानः**
  - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 {Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999}**: इसका **विनियमन वित्त मंत्रालय द्वारा** किया जाता है।
  - **FCRA में वर्ष 2020 में संशोधन कर कुछ नए नियम बनाए गए हैं। ये हैं–**
    - एक NGO से दूसरे NGO में फंड ट्रांसफर पर रोक लगायी गयी है।
    - विदेशी योगदान से प्राप्त राशि में से प्रशासनिक व्यय पर केवल प्राप्त राशि का 20% भाग ही खर्च किया जा सकता है। पहले यह 50% था।
    - पंजीकरण के लिए **आधार संख्या को अनिवार्य** बना दिया गया है।

विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन–रूस संकट पर भारत की कूटनीति 6 सिद्धांतों पर आधारित है

- भारत को पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन संकट पर **कूटनीतिक रूप से बहुत सावधानी** बरतनी पड़ी है। भारत **रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के प्रयास में ऐसा कर रहा है।**
- रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में पैदा हुए **मानवीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो संकल्पों (resolutions) पर मतदान** हुआ था। **भारत दोनों अवसरों** पर मतदान के दौरान **अनुपस्थित रहा।**
  - पहले ड्राफ्ट रेजोल्यूशन (प्रारूप संकल्प) के माध्यम से **रूस को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।** भारत इस पर हुए मतदान के समय अनुपस्थित रहा था।
  - दूसरी बार मतदान का अवसर तब आया, जब यह मांग की गयी थी **क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा को किसी कार्रवाई के लिए दूसरा संकल्प लाना चाहिए।** हालांकि, इस संकल्प में **रूस का उल्लेख** नहीं था। यह केवल एक प्रकार का **प्रक्रियात्मक मतदान (procedural vote)** था।
- सरकार ने सूचित किया है कि इस संकट पर **भारत का दृष्टिकोण या इसकी कूटनीति** अपने राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित है। यह छह **सिद्धांतों पर आधारित** है। ये सिद्धांत **वार्ता और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन** करते हैं।
- **ये छह सिद्धांत निम्नलिखित हैं:**
  - **हिंसा की तत्काल समाप्ति** और शत्रुता का अंत,
  - **वार्ता और कूटनीति** के मार्ग पर वापस लौटना,
  - इस तथ्य को मान्यता देना कि ग्लोबल ऑर्डर यानी वैश्विक व्यवस्था **अंतर्राष्ट्रीय कानून, यू.एन. चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के सम्मान पर आधारित** है।
  - संघर्ष की स्थिति में भी **मानवीय पहुँच** के लिए अवसर, तथा
  - रूस और यूक्रेन, दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क बनाए रखना।

अब तक नौ राज्यों ने मामलों (cases) की जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति (General consent) वापस ले ली है

- इन 9 राज्यों में शामिल हैं– **मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय।**
- **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दी गई सामान्य सहमति के बारे में:**
  - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अपने स्वयं के कानून (NIA अधिनियम) द्वारा शासित है। इसका पूरे देश में अधिकार क्षेत्र है। इसके विपरीत CBI, **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 {Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946}** द्वारा शासित है।
  - इससे राज्य में जांच करने के लिए संबंधित **राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य** हो जाती है। यह सहमति दो प्रकार की होती है: **विशेष सहमति और सामान्य सहमति।**
  - CBI को राज्यों में सुचारू रूप से जांच करने में मदद करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आम तौर पर **"सामान्य सहमति"** दी जाती है।
  - **DSPE अधिनियम, 1946 की धारा 6,** राज्य सरकार को CBI अधिकारी को सहमति देने या मना करने का अधिकार देती है।
- **सामान्य सहमति वापस लेने से,** CBI, राज्य सरकार की इजाजत के बिना **राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी भी नए मामले की जांच नहीं कर सकेगी।**
- हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट CBI को **राज्य की सहमति के बिना** देश में कहीं भी इस तरह के अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं।
- **CBI, केंद्र सरकार की एक जांच एजेंसी** है। यह **भ्रष्टाचार और अन्य बड़े आपराधों (आर्थिक अपराधों सहित) की जांच करती है।**

अन्य सुर्खियाँ

अधिकरणों में रिक्तियां (Vacancies in Tribunal)

- सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरणों (ट्रिब्यूनल) में व्यापक संख्या में **रिक्तियों को भरने में सरकार की असमर्थता पर चिंता व्यक्त की है।**
- अधिकरणों की स्थापना **न्यायिक या अर्ध–न्यायिक कर्तव्यों को पूरा करने** के लिए की जाती है। इनका उद्देश्य **न्यायपालिका के भार को कम करना या तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता जुटाना है।**
  - **अनुच्छेद 323A,** संसद को **लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों** से संबंधित मामलों के निर्णय के लिए **प्रशासनिक अधिकरण** (केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर) के गठन का अधिकार देती है।
  - **अनुच्छेद 323B, संसद या राज्य विधान–मंडलों** को कुछ **निश्चित मामलों** (जैसे कि कराधान, भूमि सुधार आदि) के निपटारे के लिए कानून बनाकर अधिकरण के गठन का अधिकार देती है।

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (Reserve Bank Innovation Hub: RBIH)

- **बेंगलुरु में** रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) का उद्घाटन किया गया है।
- रिज़र्व बैंक ने **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा आठ की कंपनी (सेक्शन 8 कंपनी)** के तौर पर RBIH का गठन किया है। इसके लिए शुरुआती तौर पर **100 करोड़ रुपये** की पूंजी लगाई गई है।
- इसकी स्थापना देश में वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहन देने के इरादे से की गई है। इसके जरिये वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों को **स्थायी तरीके व एक संस्थागत ढांचे के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।**
  - RBIH के जरिये वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों तक **निम्न–आय समूह की पहुंच को बढ़ावा देने वाले तंत्र का निर्माण** किया जाएगा।
- यह हब वित्तीय नवाचार क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों (जैसे BFSI सेक्टर्स, स्टार्ट–अप इकोसिस्टम्स, नियामकों और शिक्षाविदों) के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Government e Marketplace: GeM)

- वित्त वर्ष 2021–22 में **GeM पोर्टल पर 1 लाख करोड़ रुपये** की खरीद की गई है।
- **GeM के बारे में:**
  - **GeM, वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद** की सुविधा के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिये विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक व सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाती है।
  - इसे **वर्ष 2016 में** शुरू किया गया था।
  - इसे **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अधीन कार्यरत आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (Directorate General of Supplies and Disposals: DGS&D) द्वारा विकसित किया गया है।
  - **लाभ:** यह सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति प्रदान करता है।

ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (पेसर) योजना (Polar Science and Cryosphere Research: PACER)

- **पेसर (PACER)** योजना को **वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक** जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **पेसर योजना के बारे में:**
  - इसमें **अंटार्कटिक कार्यक्रम, भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, सदर्न ओशन (दक्षिणी महासागर) कार्यक्रम, क्रायोस्फीयर और जलवायु कार्यक्रम** शामिल हैं।
  - इस योजना को **राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। NCPOR, **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- उपलब्धियां:
  - **अंटार्कटिका के लिए** अभी तक **39वां** और **40वां** भारतीय वैज्ञानिक अभियान आयोजित किया जा चुका है। वर्तमान में अंटार्कटिका के लिए 41वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान जारी है।
  - इसके अलावा, **स्पीति क्षेत्र** के बारालाचा दर्रे में **ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (AWS)** प्रणाली स्थापित की गई है।
  - एक मूरिंग प्रणाली **IndARC** को **कोंग्सफजॉर्डन के स्वालबार्ड** में स्थापित किया गया है।
  - **11वें इंडियन सदर्न ओशन अभियान** का आयोजन किया गया है।

ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos missile)

- DRDO ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतह से सतह पर मार करने वाली **सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल** 'ब्रह्मोस' का सफल परीक्षण किया है।
  - इस मिसाइल के रेंज में विस्तारित किया गया है। फिर भी, इसने अत्यधिक सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सफलता प्राप्त की।
- **ब्रह्मोस मिसाइल (भारत–रूस संयुक्त उद्यम) के बारे में:**
  - ब्रह्मोस मिसाइल को **भूमि, हवा, समुद्र और जल के नीचे** से दागा जा सकता है।
  - मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) के नियमों से रूस बंधा हुआ था। इसलिए मूल रूप से इसकी मारक रेंज **290 कि.मी. तक** सीमित थी।
  - वर्ष 2016 में MTCR में भारत के प्रवेश के बाद, आगे के चरण में इसकी **मारक रेंज को बढ़ाकर 450 कि.मी. और 600 कि.मी.** करने का निर्णय लिया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत उन्नति परियोजना (Project UNNATI under MGNREGA)

- हाल ही में, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा मनरेगा के तहत **उन्नति (UNNATI) परियोजना के 75 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सम्मानित किया गया।**
- **उन्नति परियोजना के बारे में:**
  - यह परियोजना, **मनरेगा लाभार्थियों के कौशल को बेहतर करने** के लिए एक कौशल विकास परियोजना है। यह **उन्हें वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्णकालिक रोजगार में स्थानांतरित करने** और मनरेगा पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाती है।
  - यह परियोजना मनरेगा के तहत **100 दिन का कार्य पूरा करने वाले परिवार के एक वयस्क सदस्य** (उम्र 18–45 वर्ष) को **प्रशिक्षण** प्रदान करती है।

असम काजी नेमू (Assam Kaji Nemu)

- सरकार वैश्विक बाजारों में उच्च व्यावसायिक क्षमता वाले अद्वितीय कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए भौगोलिक संकेत (GI टैग) के उपयोग पर नए सिरे से प्रयास करने के लिए तैयार है। सरकार द्वारा इस प्रयास हेतु चयनित उत्पादों में से एक **असम काजी नेमू** भी है।
- इसे असम नींबू के नाम से भी जाना जाता है। **यह एक खट्टा फल है।** इसका उपयोग **विशेष रूप से भूख बढ़ाने वाले उत्पादों, पेय–पदार्थों, उद्योगों और औषधीय उपयोगों** के लिए किया जाता है।
  - यह **सामान्य नींबू से तुलनात्मक रूप से बड़ा** होता है।
  - इसका उत्पादन वर्ष भर किया जा सकता है। इसके उत्पादन के लिए दोमट और उपजाऊ मृदा उपयुक्त है।
- **असम के अन्य महत्वपूर्ण GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं – जोहा चावल, चोकुवा चावल।**

सुर्खियों में रहे स्थल

सोलोमन द्वीप

- **सोलोमन द्वीप ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।** इस समझौते के तहत चीनी सैनिकों और पुलिस को प्रशांत तट पर स्थित इस देश में तैनात होने की अनुमति प्रदान की गई है।
- **सोलोमन द्वीप समूह के बारे में:**
  - सोलोमन द्वीप, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के **मेलानेशिया में स्थित एक द्वीप समूह** देश है। यह भौगोलिक रूप से पृथ्वी के दक्षिणी और पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित है।
  - **पड़ोसी:** यह पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण–पूर्व में और वानुअतु के उत्तर–पश्चिम में स्थित है।
  - **भौगोलिक विशेषताएं:** यह घने वनों से आच्छादित ज्वालामुखी द्वीपों (कुछ सक्रिय) और कुछ निचले प्रवाल द्वीपों का एक विस्तृत पर्वतीय द्वीपसमूह है।

  - सोलोमन द्वीप का उच्चतम बिंदु **माउंट पोपोमेनसेउ** तथा निम्नतम बिंदु **प्रशांत महासागर** है।

इथियोपिया (राजधानी: अदीस अबाबा)

- इथियोपिया की सरकार ने **युद्धग्रस्त टिग्रे क्षेत्र में राहत आपूर्ति की अनुमति देने के लिए एक "अनिश्चित मानवीय संघर्ष विराम" की घोषणा की है।**
- **राजनीतिक सीमाएँ:**
  - यह हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका पर स्थित एक स्थल–रुद्ध देश (Landlocked country) है।
  - **सीमावर्ती देश:** इसके उत्तर में इरिट्रिया, उत्तर–पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केन्या और पश्चिम में साउथ सूडान और सूडान स्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **जलवायु:** इसकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। यहां ऊंचे इलाकों में समशीतोष्ण तथा निचले इलाकों में गर्म जलवायु पाई जाती है।
  - **उच्चतम बिंदु:** माउंट रॉस डेजेन
  - **सबसे बड़ी झील:** ताना झील (ब्लू नील नदी का स्रोत)
  - **निम्नतम बिंदु:** डानाकिल डिप्रेशन (गर्त)
  - **प्रमुख नदियाँ:** ब्लू नील, ओमो, अवाश, आदि

- **अफ्रीकन यूनियन और यू.एन. इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका** का मुख्यालय अदीस अबाबा में ही स्थित है।